पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 10 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 8(1)(क) के अंतर्गत सिंघाड़ा को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची से अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में

- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 8(1)(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार यदि वह लोक–हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो धारा–6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की सूची में कोई कृषि–उत्पादन सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई कृषि उत्पादन निकाल सकती है।

- शासन की अधिसूचना संख्या–1099/80–1–2014–600(3)/2011, दिनांक 10 जून, 2014 द्वारा सिंघाड़ा को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची में सम्मिलित किया गया था।

- शासन की अधिसूचना संख्या–1316/80–1–2015–600(3)/2011, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा सिंघाड़ा पर मण्डी शुल्क शून्य प्रतिशत कर दिया गया और विकास सेस बनाये रखा गया, जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17(3)(ख) में वर्णित प्राविधानों के अनुकूल नहीं है।

- सिंघाडे की पैदावार उत्तर प्रदेश के छोटे–छोटे किसानों द्वारा तालाबों में किया जाता है। इसे तालाबों से निकाल कर सड़क के किनारे ही थोड़ी–थोड़ी मात्र में बेचकर अपना जीविकोपार्जन किया जाता है।

- छोटे–छोटे किसानों के हित में तथा उक्त विधिक प्राविधान की अनुकूलता के दृष्टिगत मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 8(1)(क) के अन्तर्गत सिघाड़ा को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची से अपवर्जित किया जा रहा है।

उ0प्र0 माटी कला बोर्ड के गठन का निर्णय

प्रदेश में मिट्टी का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के गृहोपयोगी एवं कलात्मक वस्तुओं आदि बनाने का प्रचलन सदियों से रहा है। मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों व शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि करने, इस परम्परागत उद्योग को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्द्धित करते हुये सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने तथा विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा एक स्वशासी निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला एवं माटी शिल्पकला के विकास से सम्बन्धित उद्योगों के लिये नीति तैयार करते हुये उनके लिये मिट्टी की उपलब्धता के बारे में नीति, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की योजना को प्रभावी बनाया जायेगा। माटीकला एवं माटी शिल्पकला के माध्यम से कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण, तकनीकी कार्यशालायें एवं अन्य आवश्यक विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जायेगी। परम्परागत एवं नवप्रशिक्षित शिल्पियों के शिल्पों के डिजाईन विकास के लिये कार्य कराया जायेगा, नवीनतम तकनीक एवं उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी, बैंक ऋण एवं ब्याज उपादान/मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। माटीकला एवं माटी शिल्प कला से जुड़े कामगारों को आवास आवंटित कराये जाने की दिशा में प्रयास करेगा। पर्यावरण की संरक्षा की दृष्टि से सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी के कुल्हड़ों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद गाजियाबाद के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष कार्य कराए जाने हेतु लागत सीमा में शिथिलीकरण का निर्णय

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को सामान्य छात्र/छात्राओं के साथ एक ही छत के नीचे कक्षा 06 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दिये जाने हेतु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्थापित किये जाने के योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद–गाजियाबाद का भवन निर्माणाधीन है, जिसकी कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ नामित है। राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्यों की लागत सीमा विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 की मानकीकृत भवनों हेतु लागत सीमा रू0 20.00 करोड़ तक निर्धारित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की मानकीकृत लागत रू0 1703.46 लाख (यथा–संशोधित मानकीकृत लागत रू0 1691.13 लाख, वर्ष 2013 की कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर) के आधार पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद–गाजियाबाद की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रदान करते हुये रू0 400.00 लाख निर्गत की गयी है।

कार्यदायी संस्था द्वारा वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर गठित रू0 2654.87 लाख के प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन को परीक्षण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को प्रेषित किया गया, जिसे व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.04.2018 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रू0 2654.87 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 2468.86 लाख पर कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से मुख्य शर्त यह है कि कार्यदायी संस्था की मानकीकृत कार्यों को कराये जाने की लागत सीमा रू0 20.00 करोड़ है, अतः कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य कराये जाने की लागत सीमा के शिथिलीकरण पर मा0 मंत्रि–परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। इस कारण उक्त कार्य कराये जाने के लिये कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 की मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 20.00 करोड़ का शिथिलीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में जनमानस के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन स्तर को उच्चतर बनाने के लिए उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन को गति प्रदान करने, बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल तथा मध्यांचल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सभी वर्गों तक पहुंचाने, उससे विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए कुशल व अकुशल श्रमिकों को अवसर प्रदान किये जाने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 दिनांक 13.07.2017 को प्रख्यापित की गयी है एवं उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की नियमावली दिनांक 25.10.2017 को प्रख्यापित की जा चुकी है।
राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं प्रदेश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में कतिपय नियमों एवं शर्तों के अधीन छूट, अनुदान एवं वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है।

मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा श्रेणी के उपक्रमों को परिभाषित करते हुए उनके मानदण्ड, पूंजी निवेश हेतु विभिन्न मदों (अपात्र पूंजी निवेश, पात्र पूंजी निवेश), स्वीकार्य पूंजी निवेश, स्वीकार्यता की तिथि नोडल संस्था, विस्तारीकरण/विविधीकरण आधारभूत उत्पादन का बिक्री धन, स्टॉम्प शुल्क प्रतिपूर्ति, ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट, मण्डी शुल्क में छूट, अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था भी प्राविधानित है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में निहित प्राविधानों के प्रस्तर- 3.2.2/3.2.3 के अन्तर्गत निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के संबंध में सुसंगत प्राविधान है।

प्रदेश में निजी औद्योगिक पार्को की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में प्रस्तावित नीति पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत
किफायती आवास योजना (2018–2021) अनुमोदित

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 17.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के कियान्वयन हेतु ''स्कीम दिशा–निर्देश 2015'' निर्गत किये गये है। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।

मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग (एल0आई0जी0) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा इस मिशन के चार कम्पोनेन्ट में से हाउसिंग इन पार्टनर कम्पोनेन्ट के ई0डब्लू0एस0 हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्राश रू0 1.50 लाख निर्धारित किया गया है जबकि रू0 1.0 लाख राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक ई0डब्लू0एस0 इकाई के लिए रू0 2.50 लाख सहायता प्राप्त होगी।

उक्त योजना के सफल कियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इस हेतु पूर्व निर्धारित नीति में अपेक्षित संशोधन किया जाय। अतः इस सम्बध में मा0 मंत्रि परिषद द्वारा आज दिनांक...............को निम्नवत निर्गत निर्णय अवलोकित किया गयाः–

प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) तैयार की गयी है। इस योजना (वर्ष 2018–2021) पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

योजना के कियान्वयन में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता अनुभव होती है तो उसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

34वीं वाहिनी पी0ए0सी0 वाराणसी में विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में

- 34वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सेनानायक आवास, 300 व्यक्तियों की क्षमता की एक मल्टी परपज हाल, जल निकासी समस्या के निराकरण हेतु सीवेज सिस्टम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- वाहिनी परिसर में सीवर लाइन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने एवं वाहिनी के चारों तरफ सघन आबादी होने के कारण जल निकासी की गम्भीर समस्या बनी रहती है, जिसका निराकरण रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सीवेज सिस्टम के निर्माण द्वारा हो सकता है।
- 34वीं वाहिनी पीएसी परिसर में कोई मल्टी परपज हाल उपलब्ध न होने के कारण वाहिनी में किसी राजकीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों-नृत्य/नाटक, प्रशिक्षण एवं ब्रीफिंग आदि को आयोजित करने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जिसके दृष्टिगत 300 व्यक्तियों की क्षमता के मल्टी परपज हाल का निर्माण कराया जाना है।
- प्रश्नगत कार्यों हेतु उ0प्र0पुलिस आवास निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
- 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी में सेनानायक आवास के निर्माण हेतु रू0 92.37 लाख, 300 व्यक्तियों की क्षमता का मल्टी परपज हाल, जल निकासी समस्या हेतु सीवेज सिस्टम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु रू0 861.14 लाख कुल रू0 1049.82 लाख की धनराशि व्यय होना सम्भावित है।

लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को प्रतिमाह प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि को 15 हजार रु0 से बढ़ाकर 20 हजार रु0 किए जाने का निर्णय

प्रदेश के ऐसे राजनैतिक बन्दी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक २५-०६-१९७५ से दिनांक २१-०३-१९७७ तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया, एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप आपातकाल के विरोध में मीसा०/डी०आई०आर० व अन्य धाराओं के अधीन कारागार में निरूद्ध रहे हो, को सम्मान स्वरूप वर्तमान में प्रतिमाह रू० १५,००० की सम्मान राशि, एक सहचर सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा; एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

२- लोकतंत्र सेनानियों द्वारा आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा में उनके द्वारा किये गये योगदान हेतु वर्तमान में प्रदान की जा रही सम्मान राशि रू० १५,००० में रू० ५,००० की वृद्धि करते हुये प्रतिमाह रू० २०,००० किये जाने का निर्णय लिया गया है।

३- प्रतिमाह रु० १५,००० की सम्मान राशि में रू० ५,००० की बृद्धि करने पर वार्षिक रू० ३५,३५,८०,००० (पैतीस करोड़ पैतीस लाख अस्सी हजार मात्र) का अतिरिक्त व्यय-भार आयेगा |

४- उपर्युक्त वृद्धि दिनांक ०१.०७.२०१८ से प्रभावी होगी|

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भरोहिया का सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित

अधिसूचना संख्या–4/2018/सा0–57/38–2–2018–24बी0–2017, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा जनपद–गोरखपुर में विकास खण्ड पीपीगंज के गठन को निरस्त करते हुए जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भरोहिया के सृजन संबंधी प्रस्ताव को मा0 मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित किये गये प्रस्ताव से सरकार की प्रचलित योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता को प्राप्त हो सकेगा तथा प्रचलित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। सृजित किये गये विकास खण्ड के माध्यम से विकास कार्यों का लाभ जनसाधारण को प्राप्त होगा तथा विकास खण्ड तक आम जनता की पहुंच भी सहज होगी। प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

राजकीय (बालक/बालिका) इण्टर कॉलेजों में कम्प्यूटर प्रवक्ता के पदों के सृजन के सम्बन्ध में

प्रदेश के कुल 788 राजकीय (बालक/बालिका) इण्टर कालेजों में से प्रथम चरण में प्रदेश के जनपद मुख्यालयों में अवस्थित 61 राजकीय इण्टर कालेज तथा 69 राजकीय बालिका इण्टर कालेज अर्थात कुल 130 विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय हेतु प्रवक्ता पद का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। विद्यार्थियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कौशल से प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में अधिक ज्ञानार्जन किया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भविष्य में डिजिटल इण्डिया का आधार होंगे। कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त विद्यार्थियों हेतु संगठित/असंगठित सभी क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध होंगे साथ ही कार्यशील आबादी में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रदेश की जी0डी0पी0 के तृतीयक क्षेत्रक में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा।

वाहनों के परमिट शुल्क में वृद्धि हेतु उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन का फैसला

मोटरयान अधिनियम,1998 की धारा–96 के अन्तर्गत परमिट संबंधी विभिन्न कार्यो के संबंध में शुल्क निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। परमिट संबंधी विभिन्न कार्यो हेतु शुल्क का निर्धारण वर्ष 2010 में किया गया था तब से इसमें कोई वृद्धि या परिवर्तन नही किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की मंजिली गाड़ियों का किराया वर्ष–2010 के बाद 06 बार तथा नगरीय बसों का किराया 02 बार बढ़ाया गया। इसी प्रकार सी.एन.जी. चालित आटो रिक्शा, टैम्पों, टैक्सी पेट्रोल चलित आटो रिक्शा, डीजल चलित टैम्पों, टैक्सी के किराये में वर्ष 2010 के बाद समय–समय पर वृद्धि हुई है। इसी प्रकार टैम्पों आटो रिक्शा से भिन्न मोटर टैक्सी के संबंध में वर्ष 2010 के बाद समय–समय पर वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के उपरान्त प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के किराये में औसतन 33.47 प्रतिशत की वृद्धि है। जबकि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–125 में निर्धारित परमिट शुल्क में कोई परिवर्तन नही किया गया है। मध्य प्रदेश व बिहार राज्यों में वर्तमान में लागू परमिट शुल्क की दरों को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट–मंजिली गाड़ी/माल वाहन के लिये क्रमशः 25–25 प्रतिशत, बड़ी टैक्सी–एक संभाग के लिये 50 प्रतिशत व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये 33.33 प्रतिशत, मोटर टैक्सी– एक संभाग के लिये 100 प्रतिशत, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश व इससे संलग्न तीन राज्यों के लिये क्रमशः 50–50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिये 56.25 प्रतिशत, वाहन रिप्लेसमेंट के लिये 23.08 प्रतिशत तथा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये 33.33 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। जिससे विभाग को अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होने की सम्भावना है।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को चालक/परिचालक के पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5 वी0आई0पी0/44-2-2003-2 (च0स0)/88, दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुए परिवहन निगम में चालक/परिचालक के उत्पादक पदों पर **587** मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रदान किया जाना है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 2003 में मृतक आश्रितों की भर्ती पर लगायी गयी रोक को शिथिल करने पर परिवहन निगम के चालक /परिचालक उत्पादक पदों पर 587 मृतक आश्रितों की नियुक्ति परिवहन निगम द्वारा की जाएगी, जिस पर आने वाला व्यय भार परिवहन निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य कराने का प्रस्ताव अनुमोदित

वेतन समिति-2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शा0सं0-1/2017/1415/44-1-2016-53/16, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के प्रस्तर-(1)(ii) में उल्लिखित शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिको को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी,2016 से अनुमन्य करते हुए उसका वास्तविक भुगतान दिनांक 01 अप्रैल,2018 से किया जायेगा।

2. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 मार्च,2018 तक की अवधि के अवशेष के भुगतान पर आने वाले व्यय भार की व्यवस्था के लिए निगम प्रबन्धन द्वारा लाभदायिकता तथा भुगतान क्षमता के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के प्रस्तर-1(10) के प्राविधानों को संज्ञान में लेते हुए कार्य योजना तैयार कर निर्णय लिया जायेगा। उक्त पर आने वाला व्यय भार परिवहन निगम द्वारा अपने स्रोतों से स्वयं वहन किया जायेगा।

स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध को विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में

स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेन्स जारी किये जाने हेतु दिनांक 08.11.2012 को निक्सी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटेड) एन.आई.सी. (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर) व परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुआ। एनआईसी, निक्सी एवं परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये त्रिपक्षीय अनुबन्ध के क्लॉज–2 के अनुसार उक्त अनुबन्ध दिनांक 08.11.2012 से 07.11.2016 (04 वर्ष) के लिए प्रभावी था, जिसमें उक्त अनुबन्ध की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाये जाने का भी प्राविधान था, जिसके क्रम में त्रिपक्षीय अनुबन्ध को दिनांक 08.11.2016 से एक वर्ष के लिए दिनांक 07.11.2017 तक के लिए नवीनीकृत किया गया। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स के निर्गमन हेतु नई संस्था के चयन के सम्बन्ध में ई–टेण्डर के माध्यम से कार्यदायी संस्था के चयन के लिए नई कार्यदायी संस्था द्वारा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन की व्यवस्था समस्त परिवहन कार्यालयों में किये जाने में लगभग 04 माह का समय लगना सम्भावित है। अतएव परिवहन विभाग, निक्सी तथा एन.आई.सी. के साथ दिनांक 08.11.2012 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय अनुबंध को अनुबन्ध समाप्ति की तिथि 07.11.2017 से 01 वर्ष की अवधि तक विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दुर्बल आय वर्गों के भवनों के निर्माण हेतु अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने के सम्बन्ध में

- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 17.06.2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू. एस.) तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

- भारत सरकार द्वारा इस मिशन के चार कम्पोनेन्ट्स में से 'अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप' कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रू. 1.50 लाख निर्धारित किया गया है जबकि रू. 1.0 लाख अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. इकाई के लिए कुल रू. 2.50 लाख की सहायता उपलब्ध होगी।

- योजना के सफल कियान्वयन हेतु एवं अनुदानित धनराशि की सीमा में आवासों के निर्माण को सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त योजना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत दिशाा–निर्देश निर्गत किये जाने का औचित्य पाया गया।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा।

- योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय–आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा–लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा।

- उक्त दिशा–निर्देश/शासनादेश निर्गत किये जाने पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना के विभिन्न पैकेजों के ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु चयनित निर्माणकर्ताओं का प्रस्ताव अनुमोदित

01– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के विभिन्न पैकेजों के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु चयनित निर्माणकर्ताओं पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

02– 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' की आंकलित सिविल कार्य निर्माण लागत लगभग 11836.02 करोड़ रुपए है एवं बिड 5.24 प्रतिशत कम आयी है।

03– परियोजना के निर्माण की अवधि 03 वर्ष (36 माह) है, जिसके अनुसार एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्ष 2021 तक पूर्ण हो जायेगा।

04– इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश की पूर्वी सीमा का प्रदेश की राजधानी होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी तक त्वरित गति की सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

05– एक्सप्रेसवे के निर्माणोपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

06– 06 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे होने के कारण इस एक्सप्रेसवे से ईंधन की महत्वपूर्ण बचत तथा समय की बचत के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण भी सम्भव हो सकेगा।

07– परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पयर्टन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

08– प्रस्तावित एक्सप्रेसवे आच्छादित क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादक इकाईयों, विकास केन्द्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में सहायक होगा।

09– प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैण्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, मंडी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों आदि की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा।

10– एक्सप्रेसवे के निकट इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे।

11– एक्सप्रेसवे के निर्माण से परियोजना आच्छादित क्षेत्रों के पर्यटन विकास को बल मिलेगा एवं विकास से वंचित प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास सम्भव हो सकेगा।

12– प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना में जनपद सुलतानपुर के समीप एक 'एयरस्ट्रिप' का भी निर्माण किया जायेगा जिससे आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान उसका प्रयोग कर सकेंगे।

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-